



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं. NCST/DEV-2482/MH/148/2023-RO-BH

दिनांक: 15.07.2024

सेवा में,

श्री सिद्धाराम सालीमठ
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, अहमदनगर,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
अहमदनगर, महाराष्ट्र 414001
ई-मेल: collector.ahmednagar@maharashtra.gov.in
फोन नं. : 91-241-2345001

विषय: आवेदक के पूर्वजों की भूमि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने के सम्बंध श्री जयराम आसराजी देवकर, रा. खंडाला, तहसील श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) का दिनांक 14.11.2023 का प्राप्त अभ्यावेदन।


संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 29.12.2023.

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री जाटोतु हुसैन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनाथक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 23.07.2024 को अपराह्न 03:00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(सूरत सिंह)
निदेशक

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय सदस्य महोदय (जा. हु.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।